आदेशफलक

अभिलेख संख्या एवं वर्ष :– 06/2016–17

आवेदक का नाम :– लालमोहन साहु ग्राम–बरलंगा पो0–बरलंगा थाना–बरलंगा बनाम संध्या देवी पति–स्व0 आनन्द कुमार सिंह ग्राम–बरलंगा पो0–बरलंगा थाना–बरलंगा

मौजा :– बरलंगा पंचायत :– बरलंगा

तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
07/10/16	आवेदक लालमोहन साहु ग्राम–बरलंगा पो0–बरलंगा थाना–बरलंगा जिला–रामगढ़ द्वारा मौजा बरलंगा थाना न0 88 खाता न0 122 प्लॉट 1071 कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि, भूत पूर्व जमीन्दार को खतियानी रैयत द्वारा इस्तीफा नामा समर्पित करने एवं इस्तीफा की गई भूमि पर खतियानी रैयत के वंशज के द्वारा दावा किया जा रहा है। जबकि आवेदक का कहना है कि इस्तीफा के बाद प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार से हुकुमनामा के द्वारा आवेदक के पूर्वज को प्राप्त है एवं इनका जमाबन्दी चल रहा है। जिसके आलोक में विविध वाद का अभिलेख खोला जा रहा है। प्राप्त आवेदन पर संबंधित राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें एवं पक्षकारों को प्रश्नगत भूमि से संबंधित राजस्व कागजात के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 12/11/2016 को उपस्थापित करें। 7/10/16 अंचल अधिकारी, गोला, (रामगढ़)।	
12/11/16	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। प्रथम पक्ष लालमोहन साहु ग्राम–बरलंगा पो0–बरलंगा थाना–बरलंगा का कहना है कि खतियानी रैयत के द्वारा मौजा बरलंगा थाना न0 88 खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीन्दार को निबंधित डीड न0 698 दिनांक 29/03/1920 को किया गया है। इस प्रकार खाताधारी या इनके वंशज का इस प्लॉट से कोई दावा या सरोकार नही रह गया है। इनका यह भी कहना है कि इस्तीफा के बाद प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा हुकुमनामा से आवेदक के पूर्वज को प्राप्त है एवं इनका जमाबन्दी चल रहा है। उनके द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया है– (1) निबंधित इस्तीफा नामा संख्या 698 दिनांक 29/03/1920 की छायाप्रति। (2) भूतपूर्व जमीन्दार से मौजा बरलंगा खाता न0 122 ,प्लॉट न0 1071 ,रकवा 0.43 एकड़ भूमि से संबंधित प्रथम पक्ष के पूर्वज को प्राप्त हुकुमनामा की छायाप्रति। (3) खाता संख्या 81 एवं 122 की संयुक्त रूप से निर्गत लगान रसीद वर्ष 09–10,वर्ष 11–12 की प्रति। द्वितीय पक्ष संध्या देवी पति अनन्त सिंह ग्राम –बरलंगा, पो0 –बरलंगा, थाना –बरलंगा ने अपने पक्ष में मौजा बरलंगा खाता न0 122 ,प्लॉट न0 1071 ,रकवा 0.43 एकड़ भूमि से संबंधित खतियान की प्रति,खाता न0 122 कुल रकवा 0.52 एकड़ भूमि का हीरा सिंह के नाम से निर्गत लगान रसीद वर्ष 04–05 ,वर्ष 10–11 वर्ष 11–12,वर्ष 13–14 की छायाप्रति (अभिलेख में संलग्न) समर्पित किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवदित किया गया है कि मौजा बरलंगा खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि रैयती खाते की भूमि है। सर्वे खतियान में हिरा सिंह वल्द बीन्दन सिंह कौम राजपुत सा0देह टोला अम्बा टोंगरी	

दर्ज है। उक्त भूमि खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 रकवा 0.43 एकड़ भूमि हिरा सिंह वल्द बीन्दन सिंह ग्राम–बरलंगा द्वारा इस्तीफा द्वारा भाया ध्रुप नारायण सिंह पिता–कुवंर स्वरूप नारायण सिंह कोम छत्री गयवार पेशा जमीन्दारी भाया सब रजिस्ट्री गोला जिला–हजारीबाग को डीड न0 698 दिनांक 29/03/1920 को लिख दिया गया (इस्तीफा नामा की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न) है। तत्पश्चात उक्त भूमि को भूत पूर्व जमीन्दार मैनेजर इनकम्बर स्टेट जिला–हजारीबाग से गुमान साहु पिता–असीम साहु साकिन बरलंगा के नाम से सादा हुकुमनामा द्वारा बन्दोबस्ती से प्राप्त करने का दावा किया जाता है। चालू पंजी II के पेज न0 73 भौलूम न0 5 पर खाता न0 81, 122 रकवा 3.69 एकड़ भूमि की जमाबन्दी चन्द्रमोहन साहु के नाम से कायम है। रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत किया गया है। द्वितीय पक्ष संध्या देवी पति–आनन्द सिंह के द्वारा मौजा –बरलंगा ,खाता न0 122 रकवा 0.52 एकड़ भूमि का रसीद तथा खतियान की छाया प्रति (अभिलेख में संलग्न) समर्पित किया गया है ,परन्तु किस प्लॉट का रसीद निर्गत है वो पंजी II के पेज न0 175/ II पर दर्ज नही है। स्थल जॉच के क्रम मे स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि भूमि पर संध्या देवी का दखल है। दखल के रूप में एसबेस्टस एवं खपरैल का छोटा घर शौचालय बना हुआ है। अभिलेख दिनांक 25/11/2016 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
गोला, (रामगढ़)।

अभिलेख उपस्थापित।

उभय पक्षो द्वारा समर्पित राजस्व कागजातो एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम–बरलंगा खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में हीरा सिंह वल्द बिन्दन सिंह के नाम से दर्ज है। प्रश्नगत् भूमि रैयती खाता कि है। खतियानी रैयत हीरा सिंह वल्द बिन्दन सिंह ग्राम–बरलंगा के द्वारा ग्राम–बरलंगा खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि निबंधित केवाला संख्या 698 दिनांक 20/03/1920 को भूतपूर्व जमीन्दार को इस्तीफा दे दिया गया। भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा ग्राम–बरलंगा खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि गुमान साहु पिता–असीन साहु साकिन बरलंगा को सादा हुकुमनामा बन्दोबस्ती के द्वारा दिया गया। वर्तमान में पंजी II के पेज न0 73/V पर खाता न0 81 एवं 122 कुल रकवा 3.69 एकड़ भूमि की जमाबन्दी चन्द्रमोहन साहु के नाम से कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2011–12 तक निर्गत है।

द्वित्तीय पक्ष का दावा का आधार मात्र पंजी II के पेज न0 175/II पर खाता न0 122 रकवा 0.52 एकड़ का जमाबन्दी दर्ज है, तथा प्रश्नगत भूमि पर एस्बेसटस एवं खपरैल का छोटा सा घर एवं शौचालय बना है। स्पष्ट है कि सर्वे खतियान में ग्राम–बरलंगा खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 का कुल रकवा 0.43 एकड़ है तो द्वित्तीय पक्ष का जमाबन्दी 0.52 एकड़ का दर्ज होना संदेह के घेरे में है। साथ ही साथ जब ग्राम–बरलंगा खाता न0 122 प्लॉट न0 1071 कुल रकवा 0.43 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत हीरा सिंह वल्द बिन्दन सिंह ग्राम–बरलंगा के द्वारा निबंधित केवाला संख्या 698 दिनांक 20/03/1920 को भूतपूर्व जमीन्दार को इस्तीफा दे दिया गया, तो प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत के वारिसान के नाम से जमाबन्दी कायम होना गलत है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष का दावा का कोई आधार नही है। द्वितीय पक्ष यदि चाहे तो स्वत्त के निर्धारण हेतु व्यवहाय न्यायालय की शरण ले सकते है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
गोला, (रामगढ़)।

अंचल अधिकारी,
गोला, (रामगढ़)।